कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती मधु ढाबरिया, प्रधानाचार्य को प्रशासनिक आधार पर राराउमावि निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ से राउमावि नाहरगढ जिला बारां स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मधु ढाबरिया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3879/2020 मधु ढाबरिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 667/2020 गोवर्धन सिंह पंवार बनाम सरकार प्रकरण में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीमती मधु ढाबरिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं द्वारा विद्यालय हित में किये गए कार्यों, अपने नाबालिग पुत्र व अपनी सास की वृद्धावस्था को मद्देनजर रखते हुए अपना समायोजन चित्तौड़गढ जिले में राउमावि नन्नाणा, भदेसर राउमावि गिलूण्ड, राउमावि सहनवा अथवा राबाउमावि बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी दिशा–निर्देश दिनांकः 24.09.2019 में माता–पिता/सास–ससुर/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। जहां तक श्री गोवर्धन सिंह पंवार के प्रकरण में उनके पदस्थापन स्थान में संशोधन कर राहत प्रदान किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ध्यातव्य है कि यदि नियोक्ता द्वारा किसी एक लोकसेवक को उसकी व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उसे समायोजित करने के उद्देश्य से उसकी प्रार्थना के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है तो है तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अन्य व्यक्ति को भी समान प्रकरण में अनुतोष प्रदान किया जावे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक लोक सेवक को जहां उसे पदस्थापित किया गया है, वहां कार्य करना होता है। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है एवं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से किसी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। याचिकार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/मधु ढाबरिया/3879/2020 दिनांकः 17.09.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बारां।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बारां।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. मधु ढाबरिया, प्रधानाचार्य राउमावि नाहरगढ जिला बारां।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)